

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश**

संवेदक J. Kumar Construction and Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1230199) At-Uday Kanti Enclave, Flat No-B502, Arya Samaj Road, Srikrishnapuram Lane, Baily Road, Dist-Patna, Pin-801503 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निविदा(टेंडर आई0डी0-140471) में भाग लिया गया।

संवेदक द्वारा प्रश्नगत निविदा में Road Construction Department, Road division, Pakur, Jharkhand द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया गया। प्रश्नगत अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन, संबंधित कार्यालय से कराने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है।

तदालोक में संवेदक के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु किये गये अनुशंसा के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक 9427 दिनांक 01.09.2025 एवं विभागीय पत्रांक 10342 दिनांक 25.09.2025 द्वारा कारणपृच्छा की गई।

उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 03.10.2025 को पत्र समर्पित करते हुए अस्वस्थता का हवाला देते हुए आरोप के बिंदु पर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु 10(दस) दिनों के समय की मांग की गई।

इस बीच संवेदक द्वारा अभियंता प्रमुख महोदय द्वारा निर्गत कारणपृच्छा से संबंधित पत्र (विभागीय पत्रांक 9427 दिनांक 01.09.2025) को निरस्त किये जाने हेतु दिनांक 24.09.2025 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-17837/2025 J. Kumar Construction and Services Pvt. Ltd. बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

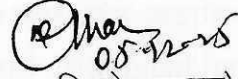
तदोपरांत संवेदक द्वारा दिनांक 13.10.2025 को पुनः पत्र समर्पित करते हुए माननीय न्यायालय में दायर वाद का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया गया कि **“जबतक न्यायालय का कोई भी आदेश नहीं आता है तबतक इस प्रक्रिया का शिथिल किया जाय।”**

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कार्रवाई किये जाने के संबंध में कोई भी स्थगन आदेश(Stay Order) जारी नहीं किया गया है।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक 11031 दिनांक 21.10.2025 द्वारा संवेदक से आरोप के बिंदु पर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया। संवेदक द्वारा अबतक आरोप के बिंदु पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा पहले अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए आरोप के बिंदु पर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु समय की मांग किया जाना, तदोपरांत माननीय न्यायालय में वाद दायर करते हुए संदर्भित वाद में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने तक कार्रवाई की प्रक्रिया को शिथिल किये जाने हेतु अनुरोध किया जाना, जबकि प्रश्नगत वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कोई भी स्थगन आदेश(Stay Order) पारित नहीं किया गया है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा मामले को लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है।

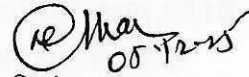
वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक J. Kumar Construction and Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1230199, PAN-AADCJ2365H) द्वारा कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निविदा(टेंडर आई0डी0-140471) में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने संबंधी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) की उपकंडिका (ix) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 02(दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-272/2025 12301 /पटना, दिनांक:- 8-12-23

निबंधित

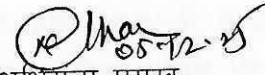
प्रतिलिपि:-J. Kumar Construction and Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1230199) At- Uday Kanti Enclave, Flat No-B502, Arya Samaj Road, Srikrishnapuram Lane, Baily Road, Dist-Patna, Pin-801503 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-272/2025 12301

/पटना, दिनांक:- 8-12-23

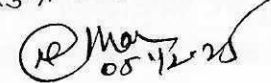
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-272/2025 12301

/पटना, दिनांक:- 8-12-23

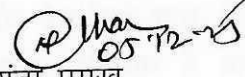
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-272/2025 12301

/पटना, दिनांक:- 8-12-23

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख
5r